कार्यालय जनपद न्यायाधीश, जनपद न्यायालय, ललितपुर । सार्वजनिक नीलामी सूचना

जनपद न्यायालय, लिलितपुर की पुरानी स्टाफ कार शासकीय कार सं०-यू०पी० 32 बी.जी. 5364 होण्डा सिटी मेक/मॉडल नं०-2010 की नीलामी दिनांक 18.01.2024 को अपरान्ह 04:30 बजे से सभागार कक्ष, जनपद न्यायालय, लिलितपुर में नीलामी सिमिति की देख-रेख में सम्पन्न की जायेगी। एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुरानी पुरानी स्टाफ कार शासकीय कार सं०-यू०पी० 32 बी.जी. 5364 होण्डा सिटी मेक/मॉडल नं०-2010 जो कि आवासीय कार्यालय, सेशन्स हाउस, लिलतपुर में खड़ी है जहाँ है जिस हाल में है। नीलामी हेतु आवश्यक सूचना एवं शर्तें निम्नवत हैं:-

- 01- प्रश्नगत वाहन की शासकीय बोली निर्धारित मूल्य रू०1,50,000/- से प्रारम्भ होगी।
- 02- नीलामी कार्यवाही में भाग लेने वाले ठेकेदार को नीचे अंकित चार्ट अनुसार धरोहर राशि जमा करनी होगी। यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति अपनी बोली पर स्थिर नहीं रहता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। जिस व्यक्ति को वाहन नीलामी में प्राप्त नहीं होगा, उसकी जमा धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने पर वापस कर दी जायेगी।
- 03- बोली स्वीकृत होने पर प्रश्नगत वाहन नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि कैशियर, जनपद न्यायालय, लिलतपुर के पास जमा करना अनिवार्य होगी। धनराशि न जमा कराने की दशा में धरोहर धनराशि जब्त कर पुन: नीलामी की जायेगी।
- 04- प्रत्येक बोलीदाता निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहेगें।
- 05- नीलामी को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अन्तिम निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, ललितपुर को होगा ।
- 06- नीलामी की प्रक्रिया को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात ही सम्पूर्ण माना जायेगा ।
- 07- जो बोली दाता अधिकतम बोली बोलने के पश्चात व बोली स्वीकार करने के पश्चात नीलामी की शर्तों का अनुपालन नहीं करेगें तो उसकी धरोहर राशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
- 08- यह आवश्यक नहीं है कि अधिकतम बोली लगाने वाला प्रत्येक दशा में स्वीकार किया जाये
- 09- प्रत्येक बोली दाता को बोली बोलते समय अपना पहचान पत्र/आधार कार्ड, एक फोटो तथा मोबाइल नम्बर जमा करना अनिवार्य होगा ।
- 10- नीलामी की प्रक्रिया से उत्पन्न किसी भी वाद का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय, ललितपुर को होगा
- 11- प्रश्नगत वाहन जिस भी व्यक्ति को नीलाम होगा वह व्यक्ति अपने स्वयं के खर्चे नियमानुसार वाहन को अन्तरित करायेगा ।

धरोहर राशि का विवरण निम्न तालिका में अंकित है:-

क्रमांक	वाहन का विवरण	मॉडल नम्बर	धरोहर राशि का विवरण
01.	शासकीय कार सं०- यू०पी० 32 बी.जी. 5364 होण्डा सिटी	मेक/मॉडल नं०-2010	50,000/-
		,	

sd/-

(गुलाब सिंह-II), अध्यक्ष, नीलामी समिति/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम), ललितपुर ।

प्रतिलिपिः - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।

- 01- नाजिर सदर, कार्यालय जिला अधिकारी, ललितपुर ।
- 02- अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिसद, ललितपुर ।
- 03- जिला सूचना अधिकारी, लिलतपुर को दैनिक समाचार पत्र में शासनादेश सं० 562/19— 02—2007—1007/74 (T.C) (सूचना अनुभाग 02 लखनऊ) दिनांकित 04.07.2007 के अनुपालन में प्रकाशन किये जाने के उपरांत प्रकाशित पत्र की प्रति इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध हेतु प्रेषित ।
- 04- सिस्टम आफीसर, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, ललितपुर को जनपद न्यायालय ललितपुर व माननीय उच्च न्य़ायालय की वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
- 05- सहायक नाजिर, जनपद न्यायालय, ललितपुर ।

आज्ञानुसार नीलामी समिति, sd/-केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, ललितपुर ।